न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

किशनसिंह बनाम हरि सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. 97/2009 हुक्म
20-1-22	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व 7 ता 8 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से नाम हजफ किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर वकील वादी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा प्रतिवादी नं. 3 ता 5 व 7, 8 व नाम हजफ किया जाता है। वकील वादी संशोधित शीर्षक पेश करे। साक्ष्य वादी वादी किशन सिंह व वादी गवाह मे रविन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह के लिखीत शुदा शपथ पत्र पेश किये जो शामील पत्रावली किये। वास्ते पेश होने संशोधित शीर्षक व बहस पत्रावली दिनांक 24-1-2022 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
24.01.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा किये जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाकर निस्तारित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सुनी गयी। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लगातार

Margin notes (handwritten): अ. नि. किशनसिंह (वादी नं.1); पहिचान कर्ता ह० ... (कमल कुमार); रविन्द्र सिंह; महेन्द्र सिंह; महेन्द्र सिंह (गवाह)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

...ख हुक्म	किशनसिंह बनाम दानसिंह हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मुन-92/2009	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 24/1/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2022.02.01 16:28:39 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
92 / 2009	2009 / 080	06.04.2009	24.01.2022

उनवान

1. किशनसिंह पुत्र बन्नेसिंह
2. **विजयसिंह मृत्तक के बजायः–**

   2/1 मुन्नी कँवर पत्नी स्व0 विजयसिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. **दानसिंह मृत्तक के बजायः–**

   1/1 संतोष कंवर बेवा दानसिंह (मृत्तक होने से नाम हजफ)

   1/2 रविन्द्र उर्फ भोलू पुत्र दानसिंह

   1/3 ममता पुत्री दानसिंह

   1/4 समता पुत्री दानसिंह

   1/5 मिनाक्षी पुत्री दानसिंह

   1/6 गीता पुत्री दानसिंह
2. कानसिंह पुत्र कल्याणसिंह

   समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. **श्रीमती सन्तोष पत्नि गुलझारी लाल (नाम हजफ)**
4. **गुलझारी पुत्र भागीरथ मल (नाम हजफ)**

   समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
5. सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
6. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7. पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर (नाम हजफ)
8. मदनसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 (नाम हजफ)

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested

24/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित–

श्री कमल कुमार शर्मा, वादीगण अभिभाषक।
श्री रविन्द्र सिंह शेखावत, प्रतिवादीगण नं. 1/2 से 1/6, 2 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 6

वादपत्र बाबत इस्तकरार हक एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 684 रकबा 1.60 हैक्टर, 685/2 रकबा 1.21 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.81 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड खातेदारी मृत्तक बीरबलसिंह पुत्र बच्चनसिंह के नाम दर्ज थी। मृत्तक बीरबल सिंह ने अपने जीवनकाल में वादीगण के हक में एक वसीयत लेख तहरीर तकमील कर दिनांक 21.10.1987 को सब रजिस्ट्रार श्रीमाधोपुर में तस्दीक कराया था। जिसमें भूमि खसरा नम्बर 683, 684, 685/2 कुल किता 3 कुल रकबा 4.13 हैक्टर तन् कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर एंव अपने रिहायशी तीन साल एक कमरा रसोई खाम घर आदि की वसीयत कर दी थी। जिसमें से मृत्तक बीरबल सिंह ने भूमि खसरा नम्बर 683 व मकान नोहरा घर आदि का बैचान अपने जीवनकाल में कर दिया था बाकि शेष बचा खसरा नम्बर 684, 685/2 कुल किता 2 कुल रकबा 2.81 हैक्टर तन् कोटड़ी सिमारला का कब्जा वादीगण को अपने जीवनकाल में वसीयत करवाते ही करा दिया था व स्वंय अपने ससुराल ग्राम बाई का बास तहसील चौमूं अपनी पत्नि को साथ लेकर चला गया था। तब से वादीगण बहैसियत दोनों खसरा नम्बर पर खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है। यह भूमि उसकी स्वअर्जित कृषि भूमि है और दिनांक 16.1.1993 को बीरबलसिंह का देहान्त होते ही वसीयत अनुसार खातेदारी अधिकार वादीगण को प्राप्त हो चूके है एंव वादीगण कानूनन विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या [illegible] बीरबलसिंह के परिवार में भतीजे लगते है और प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 को [illegible] वादीगण के कब्जा काश्त में भी प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने कोई एतराज नहीं [illegible] प्रतिवादीगण 1 व 2 के वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

24/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

साथ मधुर सम्बन्ध रहे है। वादीगण ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 684 में से अपने भाई व चाचा मदनसिंह की रिहायशी उपयोग हेतु भूमि खसरा नम्बर 684 में से कुल भूमि इस खसरा नम्बर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर जो अलग से निकली हुई बता दी थी। जिस पर मदनसिंह प्रतिवादी नं. 8 ने रिहायसी मकान बना रखे है व इसी खसरा नम्बर में से मदनसिंह के उत्तर में कुछ भूमि रहने हेतु कानसिंह को बता दी, जिसमें उसने रिहायसी मकान बना लिये है। इसके अलावा शेष रकबा से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण ने विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने हेतु वसीयत पटवारी को देने पर पटवारी ने इन्कार कर दिये जाने से खातेदारी दर्ज नहीं हो सकी। पटवारी के कथन अनुसार बीरबलसिंह का मृत्यू प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कोटड़ी सिमारला में दिनांक 16.10.2008 को तैयार करवाया जिसमें मृत्यु दिनांक 2.9.1990 को होना दर्ज कराया है जो फर्जी है। चूंकि उस दिन बीरबलसिंह जिन्दा था व उसकी मृत्यु दिनांक 16.1.93 को हुई थी। इस प्रकार फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने बेईमानी से वसीयत को टालकर प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम विरासत अनुसार नामान्तकरण संख्या 387 भरकर सरपंच ग्राम पंचायत से तस्दीक कराना चाहा परन्तु सरपचं को पूर्व में ही वादीगण की वसीयत की बाबत निवेदन करने से नामान्तकरण तस्दीक करने से इन्कार कर दिया व पटवारी ने बदनियति से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से भ्रष्ट तरीका अपनाकर नामान्तकरण सीधे तहसीलदार से तस्दीक कराकर जमाबन्दी में चढ़ा दिया। इस फर्जी व गैर कानूनी कार्यवाही से वादीगण पाबन्द नहीं है। प्रतिवादी सं. 4 के खसरा नम्बर 683 बीरबलसिंह ने उसके जीवनकाल में वसीयतशुदा में से क्रय कर दिया था। उसी समय इसे जानकारी थी। भूमि खसरा नम्बर 684, 685/2 की वसीयत वादीगण के हक में है परन्तु फर्जी रूप से खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के नाम होने के बाद में उसने एक नुमाइसी विक्रय लेख दिनांक 01.01.2009 को भूमि खसरा नम्बर 684 में से रकबा 0.25 हैक्टर का अपनी पत्नि प्रतिवादिया नं. 3 के हक में प्रतिवादी दानसिंह से तहरीर तकमील करा कर तस्दीक कराया है जो वादीगण के प्रति प्रभावहीन है। इस विक्रय लेख से प्रतिवादिया नं. 3 का कोई अधिकार इस भूमि की खातेदारी बाबत प्राप्त नहीं हो सके नहीं कानूनन प्रतिवादीगण नं. 1व 2 विवादग्रस्त भूमि के खातेदार है। वादीगण विवादग्रस्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम हिस्सा दर्ज कराने के अधिकारी है। खातेदारी [illegible] में वादीगण के नाम नहीं होने से वादीगण को काफी हक तल्फी होने से वाद पेश [illegible] हुआ है। बिनाय दावा दिनांक 8.3.2009 को प्रतिवादीगण ने [illegible] दर्ज करवाने से इन्कार होने

24/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

व बेदखल करने व रहन रखने व भूमाफियाओं व ताकतवर लोगों को बैचान करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न होने पर दावा अन्दर मियाद पेश किया गया है। वकील वादीगण ने उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज किये जाने बाबत उक्त दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

वकील इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 3 ता 4 की ओर से श्री आर0 एल0 सैनी एड0 एंव प्रतिवादीगण नं. 1, 2 व 8 की ओर से श्री रघुनाथ सिंह एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामें पेश किये गये। वकील वादीगण ने दिनांक 05.01.2022 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी कायम मुकामान् वादी संख्या 2 व प्रार्थना पत्र अबेटमेन्ट सेटसाईट अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया एंव इसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1/1 के फौत होने तथा उसके वारिसान् प्रतिवादी संख्या 1/2 से 1/6 पूर्व से दावा में प्रतिस्थापित होने व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान् नहीं होने से प्रतिवादी सं. 1/1 का नाम दावा से हजफ किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण श्री रविन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर प्रतिवादी सं. 1/1 का नाम हजफ किये जाने एंव संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किये जाने की अनुमति दी जाती है। इस पर वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। वकील वादीगण ने पक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किया। जिसमें उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 एंव उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1/2 से 1/6 व 2 की पहचान श्री रविन्द्र सिंह शेखावत एड0 के द्वारा की गई। उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने दिनांक 20.01.2022 को उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व 7 ता 8 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से नाम हजफ किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नाम हजफ किये जाने की स्वीकृति दी गई। साक्ष्य वादीगण में वादी किशनसिंह व वादी गवाह में रविन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह के लिखित शपथ पत्र पेश किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1/2 से 1/6 एंव 2 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा अन्य प्रतिवादीगण का नाम हजफ करवा लिये जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

24/01/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

(5)

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, विक्रय लेख, वसीयत लेख, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ प्रतिवादीगण संख्या 1/2 ता 1/6 व प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार से है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की भूमियॉ होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए बंटवारे अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 684 रकबा 1.60 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी नं. 1/2 से 1/6 आधा अर्थात 0.80 हैक्टर एंव आधा हिस्सा अर्थात् 0.80 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर 2 कानसिंह के कब्जे काश्त व हक हिस्से में रहेगा व खसरा नम्बर 685/2 रकबा 1.21 हैक्टर में 1/2 हिस्सा वादी सं. 1 किशनसिंह व 1/2 हिस्सा वादी संख्या 2 मृत्तक विजयसिंह की वारिस वादी संख्या 2/1 के हक हिस्सा में रहने तथा खसरा नम्बर 685/2 के सम्पूर्ण रकबे से प्रतिवादी संख्या 1/2 से 1/6 व प्रतिवादी नम्बर 2 कानसिंह का नाम हजफ कर उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2/1 के नाम बरूए राजीनामा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् इस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 684 रकबा 1.60 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी नं. 1/2 से 1/6 आधा हिस्सा अर्थात 0.80 हैक्टर एंव आधा हिस्सा अर्थात् 0.80 हैक्टर प्रतिवादी नम्बर 2 कानसिंह के कब्जे काश्त व हक हिस्से में रहेगा व खसरा नम्बर 685/2 रकबा 1.21 हैक्टर में 1/2 हिस्सा का वादी सं. 1 किशनसिंह व 1/2 हिस्सा का वादीया संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested

24/1/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

⑥

मृत्तक विजयसिंह की वारिस वादीया संख्या 2/1 के हक हिस्से में रहने तथा खसरा नम्बर 685/2 के सम्पूर्ण रकबे से प्रतिवादी संख्या 1/2 रविन्द्र सिंह, 1/3 ममता कंवर, 1/4 समता कंवर, 1/5 मिनाक्षी कंवर, 1/6 गीता कंवर व प्रतिवादी नम्बर 2 कानसिंह का नाम हजफ कर उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 व वादीया संख्या 2/1 हिस्सा 1/2 के नाम बरूए राजीनामा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान् के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore 24/01/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 24/01/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.01 16:28:39 IST
Reason: SelfAttested